प्रेस प्रकाशनी *

सितंबर 2012

श्री वाई. सी. देवेश्वर को भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्रीय बोर्ड में नामित किया गया

5 सितंबर 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 की उप धारा (1) के खण्ड (सी) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने श्री वाई. सी. देवेश्वर को भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड में निदेशक के रूप में 3 सितंबर 2012 से चार वर्षों की अवधि के लिए नामित किया है।

रिजर्व बैंक ने राजीव गाँधी सहकारी बैंक लि., लातूर (महाराष्ट्र) का लाइसेंस रद्द किया

12 सितंबर 2012

राजीव गाँधी सहकारी बैंक लि., लातूर, (महाराष्ट्र) (आगे बैंक कहा जाएगा) अपने वर्तमान एवं भविष्य के जमाकर्ताओं को भुगतान करने में असफल रह जाने की स्थिति में होने, बैंक के कार्यकलाप जमाकर्ताओं के हित के विपरीत हो जाने तथा बैंक की वित्तीय स्थिति के पुनरुज्जीवन के लिए कोई गुंजाइश न छोड़ने के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को बैंकिंग कारोबार करने के लिए दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश 30 अगस्त 2012 को जारी किया। सहकारी समितियों के पंजीयक, पुणे से बैंक के परिसमापन और उसके लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध भी किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के परिसमापन पर जमाकर्ता, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से सामान्य शर्तों के अधीन ₹1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 दिसंबर 1997 को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 22 के अंतर्गत बैंक को बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया था। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 के अंतर्गत 30 सितंबर 2004 की वित्तीय स्थिति के अनुसार किए गए सांविधिक निरीक्षण से यह पता चला कि बैंक का एनपीए 23.5 प्रतिशत आकलित किया गया है, मूल्यांकित निवल संपत्ति (-) ₹16.14 लाख है, सीआरएआर (-) 7.8 प्रतिशत है तथा संचित हानि ₹21.41 लाख है।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 के अंतर्गत 31 मार्च 2006 की वित्तीय स्थिति के अनुसार किए गए सांविधिक निरीक्षण से यह पता चला कि बैंक की वित्तीय स्थिति अत्यधिक खराब हुई है। बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 36(1) के अंतर्गत अपने 6 अक्तूबर 2006 के पत्र के माध्यम से परिचालनात्मक विनिर्देश जारी किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नए जमा स्वीकार करने, सांविधिक जमा की समयपूर्व वापसी तथा नए ऋण एवं अग्रिमों की मंजूरी पर रोक लगा दी गई है।

बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत 31 मार्च 2007 तथा 31 मार्च 2008 के अनुसार किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण से यह प्रकट हुआ है कि बैंक की वित्तीय स्थिति में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है।

31 मार्च 2010 की वित्तीय स्थिति के अनुसार किए गए सांविधिक निरीक्षण से यह पता चला है कि बैंक की वित्तीय स्थिति खराब हुई है। यह ह्रास निवल संपत्ति एवं सीआरएआर की दृष्टि से क्रमश : (-) ₹22.85 लाख और (-) 15.4 प्रतिशत आँका गया, सकल एनपीए सकल अग्रिमों का 35.2 प्रतिशत रहा और मूल्यांकित हानि ₹58.32 लाख एवं जमा राशि में गिरावट 11.9 प्रतिशत रही है। 23 जून, 2011 को हुई बैठक में टैफकब द्वारा 31 मार्च 2010 की वित्तीय स्थिति के अनुसार निरीक्षण निष्कर्षों की समीक्षा की गई और निदेशक मंडल का अधिक्रमण, विनिर्देश जारी करने तथा लाइसेंस रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने की सिफारिश की गई। तदनुसार 2 अगस्त 2011 के आदेश के माध्यम से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत बैंक पर विनिर्देश जारी किए गए जिसे समय-समय पर बढाया गया। इसके अतिरिक्त हमारे 2 अगस्त 2011 के अनुरोध को मानते हुए आरसीएस ने 16 अगस्त 2011 के आदेश के माध्यम से बोर्ड का अधिक्रमण किया और 16 अगस्त 2011 को प्रशासक मंडल की नियुक्ति की।

* सितंबर 2012 की महत्त्वपूर्ण प्रेस प्रकाशनियां

31 मार्च 2011 की वित्तीय स्थिति के अनुसार किए गए अद्यतन सांविधिक निरीक्षण से यह पता चला है कि बैंक की वित्तीय स्थिति अत्यधिक खराब हुई है। चुकता पूँजी एवं आरक्षित निधियों (निवल संपत्ति) के वास्तविक या विनिमय मूल्य 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार के (-) ₹22.85 लाख से घटकर 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (-) ₹ 98.40 लाख पर पहुँच गई है, अतः बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 11(1) एवं 22(3) का अनुपालन नहीं किया है। बैंक का सीआरएआर 31 मार्च 2010 के (-) 15.4 प्रतिशत से घटकर 31 मार्च 2011 को (-) 41.8 प्रतिशत तक पहुँच गया है। 31 मार्च 2010 के अनुसार आकलित ₹67.12 लाख (35.2 प्रतिशत) और ₹54.82 लाख (30.7 प्रतिशत) के सकल एवं निवल एनपीए 31 मार्च 2011 के अनुसार बढ़कर ₹148.92 लाख (99.0 प्रतिशत) और ₹129.13 लाख (93.5 प्रतिशत) तक पहुँच गए हैं। 2009-10 के दौरान ₹58.32 लाख के रूप में निर्धारित हानि 2010-11 के दौरान ₹129.27 लाख हो गई, जबकि बैंक की मूल्यांकित संचित हानि 31 मार्च 2010 के ₹68.68 लाख से बढ़कर 31 मार्च 2011 में ₹133.87 लाख रही। जमा राशि में गिरावट जो 31 मार्च 2010 के अनुसार 11.9 प्रतिशत थी वह 31 मार्च 2011 में 52.8 प्रतिशत तक पहुँच गई।

बैंक की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 मई, 2012 को बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें बैंक से यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया था कि उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत 15 दिसंबर, 1997 को बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए और बैंक का परिसमापन क्यों न किया जाए। कारण बताओ नोटिस पर बैंक द्वारा दिए गए 20 जून 2012 के उत्तर की जांच की गयी लेकिन उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके अलावा बैंक ने विलयन/पुनरुज्जीवन की कोई जीवनक्षम योजना प्रस्तुत नहीं की थी।

बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 11(1), 18, 22(3)(क), 23(3)(ख) तथा 24 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तथा बैंक वर्तमान और भविष्य के जमाकर्ताओं को भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। बैंक के कार्यकलाप जमाकर्ताओं के हित के विरुद्ध हो रहे हैं। बैंक की वित्तीय स्थिति के पुनरुज्जीवन की कोई संभावना नहीं है और आगे बैंक को बैंकिंग व्यापार की अनुमति देने से सभी प्रकार से जनहित प्रभावित होंगे। इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में अंतिम उपाय के रूप में बैंक का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया है। लाइसेन्स रद्द किए जाने और परिसमापन प्रक्रिया आरंभ करने से राजीव गाँधी सहकारी बैंक लि., लातूर, (महाराष्ट्र) के जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के अंतर्गत बीमाकृत राशि के भुगतान की प्रक्रिया निक्षेप बीमा योजना की शर्तों के अधीन प्रारंभ की जाएगी।

लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में राजीव गाँधी सहकारी बैंक लि., लातूर, (महाराष्ट्र) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत 'बैंकिंग' के रूप में पारिभाषित कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री एस त्यागराजन, उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है:

डाक पता : शहरी बैंक विभाग, नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, अतिरिक्त कार्यालयीन भवन, पूर्व उच्च न्यायालय मार्ग, नागपुर-440001; टेलीफोन नंबर : (0712) 2806829 फैक्स नंबर : (0712) 2552896;

मौद्रिक नीति की तिमाही के मध्य में समीक्षा : सितंबर 2012

17 सितंबर 2012

मौद्रिक और चलनिधि उपाय

वर्तमान समष्टि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि :

- अनुसूचित बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में 25 आधार अंकों की कमी करते हुए 22 सितंबर 2012 से शुरूहोने वाले पखवाड़े से उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 4.75 प्रतिशत से घटाकर 4.50 प्रतिशत किया जाए। इसके फलस्वरूप बैंकिंग प्रणाली में लगभग ₹170 बिलियन प्राथमिक चलनिधि डाली जाएगी; और
- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीति रिपो दर में कोई परिवर्तन किए बिना उसे 8.0 प्रतिशत रखा जाए। इसके परिणामस्वरूप चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय रिपो दर 7.0 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 9.0 प्रतिशत पर बनी रहेगी।

परिचय

2. जुलाई में रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति की पहली तिमाही समीक्षा के बाद कई उल्लेखनीय गतिविधियां हुई हैं। वैश्विक स्तर पर जबकि जोखिम बढ़े हैं, यूरोपीयन सेंट्रल बैंक (ईसीबी) और यूएस फेडरल दोनों ने वित्तीय बाज़ारों को शांत रखने तथा आर्थिक गतिविधि को और प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के अभिप्राय से चलनिधि उपायों के साथ कार्रवाई की है। जबकि इन उपायों ने निश्चित रूप से अल्पावधि वृद्धि और वित्तीय जोखिमों को कम किया है, वे वैश्विक आस्ति मूल्यों और खासकर पण्य वस्तु कीमतों पर भी दबाव डालेंगे। घरेलू स्तर पर एक नकारात्मक निवेश वातावरण के बीच वृद्धि कमज़ोर बनी हुई है, तथापि, सरकार द्वारा शुरू किए गए हाल के सुधारात्मक उपायों ने भावनाओं में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया है। सरकार ने ईंधन आर्थिक सहायता में कमी तथा सार्वजनिक उद्यमों में स्टेक की बिक्री के द्वारा राजकोषीय समेकन के प्रति लम्बे समय से प्रत्याशित उपाय शुरू किए हैं। इसके अलावा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) बढ़ाने के लिए किए गए उपाय अधिकतम पूंजी अंतर्वाह और दीर्घावधि में उच्चतर उत्पादकता खासकर, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में दोनों योगदान करेंगे। तथापि, महत्वपूर्ण रूप से इस क्षण थोक तथा खुदरा स्तर दोनों पर मुद्रास्फीतिकारी दबाव अभी भी मज़बूत हैं।

3. अप्रैल में रिज़र्व बैंक ने निवेश और वृद्धि की गिरावट का समाधान करने के लिए आपूर्ति पक्ष प्रयासों के साथ-साथ मुद्रास्फीति प्रबंध के लिए राजकोषीय नीति सहायता की प्रत्याशाओं पर 50 आधार अंकों की प्रारंभिक प्रभाव वाली नीति दर में कमी को कार्यान्वित किया है। चूंकि ये प्रत्याशाएं कार्यान्वित नहीं हुई तथा मुद्रास्फीति 7.5 प्रतिशत के ऊपर मजबूती से बनी रही, इसलिए रिज़र्व बैंक ने जून की अपनी तिमाही मध्य की समीक्षा (एमक्यूआर) और जुलाई की पहली तिमाही समीक्षा (एफक्यूआर) में अपनी नीति को आसानी को विराम लगाने का निर्णय लिया। चूँकि मुद्रास्फीतिकारी प्रवृत्तियां बनी हुई हैं, मौद्रिक नीति का प्रारंभिक ध्यान मुद्रास्फीति को रोक रखना तथा मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं को व्यवस्थित करने पर है। इस संदर्भ में सरकार के हाल की कार्रवाईयों ने उपभोग (आर्थिक सहायता) से अलग हटकर तथा निवेश के प्रति (एफडीआई के माध्यम को शामिल करते हुए) व्यय में एक बदलाव शुरू करने के द्वारा अधिक अनुकूल वृद्धि-मुद्रास्फीति गतिशीलता के लिए मार्ग सुगम किया है। हालांकि कई चुनौतियां बनी हुई हैं जिनमें से एक निरंतर जारी मुद्रास्फीति है। लेकिन वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए नीति कार्रवाई कार्यान्वित होती है तो मौद्रिक नीति इन कार्रवाईयों के सकारात्मक प्रभाव पर मुद्रास्फीति प्रबंध पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए पुनः बल प्रदान करेगी। केवल इसी से यह सुनिश्चित होगा कि अर्थव्यवस्था हाल की और प्रत्याशित राजकोषीय तथा आपूर्ति पक्ष नीति उपायों से अधिकतम लाभ प्राप्त करेगी।

वैश्विक अर्थव्यवस्था

4. वर्ष 2012 की तीसरी तिमाही में वैश्विक गतिविधि कमज़ोर हो गई है। व्यापारिक माल कारोबार प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में निरपेक्ष सुधारों के साथ अधिक मंद हुआ है। वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) विनिर्माण में कमी तथा सेवाओं में केवल मामूली वृद्धि की ओर इशारा करते हैं। यूरो क्षेत्र में कमज़ोर होती आर्थिक गतिविधि के बीच व्याप्त सरकारी ऋण दबाव वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रति उल्लेखनीय प्रारंभिक जोखिम उत्पन्न करते हैं। इन चिंताओं ने ईसीबी द्वारा सरकारी बाण्ड क्रय के रूप में सीधे मौद्रिक लेनदेन (ओएमटी) के कार्यक्रम की घोषणा के लिए प्रेरित किया है। यूएस फेडरल ने श्रम बाज़ार स्थितियों में आवश्यक सुधार होने तक अतिरिक्त एजेंसी बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों के क्रय की घोषणा की है तथा वर्ष 2015 के मध्य तक अतिरिक्त नीति आर्थिक सहायता प्रदान किया है।

5. उभरती हुई और विकासशील प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं (ईडीई) में वृद्धि हुई। पिछले तीन वर्षों में चीन के वर्ष 2012 की दूसरी तिमाही में वृद्धि इसके न्यूनतम दर को दर्शाते हुए नरम हो रही है। मंद वैश्विक मांग ने इन अर्थव्यवस्थाओं में औद्योगिक गतिविधि और निर्यात को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित किया है। इसके अलावा, विश्व के प्रमुख अन्न उत्पादक क्षेत्रों में सूखे की स्थिति परिमाणात्मक कमी के नए उपचार की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों को और मज़बूत होने की संभावना समग्र वैश्विक समष्टि आर्थिक संभावनाओं के प्रति सर्वव्यापी जोखिम उत्पन्न करती है।

घरेलू अर्थव्यवस्था

वृद्धि

6. पूर्ववर्ती तिमाही के संबंध में वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही में आर्थिक गतिविधि कुछ तेज़ हुई है लेकिन पहली तिमाही में मूल्यवर्धित मंद गति अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों और खासकर उद्योग में प्रत्यक्ष दिखाई देती है। अग्रणी संकेतक दूसरी तिमाही में भी कम गतिविधियों की ओर इशारा करते हैं। औद्योगिक उत्पादन जुलाई में मात्र 0.1 प्रतिशत तक बढ़ा है। अगस्त में विनिर्माण पीएमआई ऊर्जा की कमी और गिरते हुए निर्यात मांग के कारण उत्पादन बाधाओं के परिणामस्वरूप अब तक वर्ष 2012 के दौरान अपने न्यूनतम स्तर तक गिरा है। तथापि सेवा पीएमआई ने नई मांग और रोज़गार में वृद्धि पर अगस्त में कुछ तेज़ी दिखाई है। कम वर्षा में क्रमिक कमी

के साथ यद्यपि अभी भी सामान्य से कम है, खरीफ की बुआई में सुधार हुआ है। पुनः आश्वस्त करते हुए वर्षा ने जलाशयों में भंडारण को बढ़ाया है जो कृषि संभावनाओं के बारे में चिंताओं को कुछ हद तक कम करते हुए रबी की फसल के लिए संभावनाओं को उन्नत बनाएगी।

मुद्रास्फीति

7. हेडलाईन डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) अब तक वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 7.5 प्रतिशत पर स्थिर बनी हुई है। अलग-अलग स्तरों पर प्राथमिक खाद्य वस्तुओं के भीतर जुलाई-अगस्त में सब्जियों की कीमतों में कमी बड़े पैमाने पर अनाजों और दालों की कीमतों में उछाल के द्वारा शुरू हुई थी। प्रोटिन समृद्ध मदों के संबंध में मांग-आपूर्ति असंतुलन बने हुए हैं। अगस्त में ईंधन मूल्य मुद्रास्फीति में तेजी आयी जो व्यापक रूप से ऊर्जा कीमतों में बढ़े हुए संशोधन को दर्शाती है। स्वागत के रूप में जैसाकि डीज़ल की कीमतों में हाल की वृद्धि/एलपीजी आर्थिक सहायता को औचित्यपूर्ण बनाने के लिए किया गया है, लागू कीमतों के प्रति पासथ्रू अधूरा बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें संवेदनशील हैं जो वैश्विक चलनिधि के द्वारा पुनः संचालित हो रही है। मुख्य मुद्रास्फीति दबाव गैर-खाद्य विनिर्मित उत्पाद मुद्रास्फीति अप्रैल में 5.1 प्रतिशत से बढ़कर अगस्त में 5.6 प्रतिशत होने के साथ मजबूत बने हुए हैं तथा गतिशीलता संकेतक अभी भी बढ़े हुए हैं। यद्यपि, मांग दबाव नरम हुए हैं, आपूर्ति बाध्यताएं और रुपया अवमूल्यन कीमतों को स्थिर रखते हुए उन पर दबाव डाल रहे हैं।

8. नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के अनुसार मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) खाद्य मदों की बढ़ती हुई कीमतों द्वारा प्रभावित होकर जून से जुलाई तक 10 प्रतिशत के नज़दीक रहते हुए व्यापक रूप से अपरिवर्तित रही। जुलाई में कुछ कमी के बावजूद मुख्य सीपीआई मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन समूह को छोड़कर) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़े हुए स्तर पर रहा।

9. डीज़ल की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी के संशोधन तथा एलपीजी के लिए आर्थिक सहायता को औचित्यपूर्ण बनाना जबकि एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, अल्पावधि में हेडलाईन मुद्रास्फीति पर दबाव बने रहेंगे। तथापि, मध्यावधि के दौरान यह समष्टि आर्थिक मौलिक तत्वों को मज़बूत बनाएगा। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि ये संशोधन अप्रैल की नीति के समय प्रस्तावित थे जब एक प्रारंभिक प्रभाव वाली रिपो दर कमी शुरू की गई थी। दीर्घावधि के दौरान जैसाकि वर्ष 2012-12 के लिए केंद्रीय बज़ट में उल्लेख किया गया है, सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत के अंतर्गत आर्थिक सहायता को धारण करना मुद्रास्फीति पर मांग पक्ष दबावों का प्रबंध करने के लिए महत्वपूर्ण है। मुद्रास्फीतिकारी दबावों को रोक रखना तथा मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को कम करने के लिए निवेश को बढ़ाने, आपूर्ति बाधाओं को दूर करने तथा उत्पादकता में सुधार लाने हेतु हाल की नीति कार्रवाईयों की गति को बनाए रखने की ज़रूरत है।

चलनिधि स्थितियां

10. मुद्रा आपूर्ति ($एम_3$), बैंक ऋण एवं जमाराशियों में उनकी सांकेतिक सीमाओं के संबंध में आर्थिक गतिविधि की मंदी को दर्शाते हुए नरमी आयी है। इस पृष्ठभूमि के विपरित पहली तिमाही समीक्षा से ही चलनिधि स्थितियां सहज बनी हुई हैं। तथापि, आगे जाकर जमा वृद्धि और ऋण वृद्धि के बीच की खाई वर्ष की दूसरी छमाही में ऋण मांग में मौसमी तेजी की सहायता से बढ़ सकती है। इससे अग्रिम कर भुगतानों तथा त्यौहार संबंधी मुद्रा मांग की शुरूआत के कारण बर्हिवाहों के साथ अगले कुछ सप्ताहों के दौरान चलनिधि पर दबाव मज़बूत हो सकते हैं। इन स्थितियों में समुचित चलनिधि का प्रबंध यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत आहरण व्यापक रूप से निवल मांग और मीयादी देयताओं के +/- 1 प्रतिशत के सांकेतिक लक्ष्य के भीतर बना रहेगा जिसके द्वारा मौद्रिक नीति अंतरण को सुविधा मिलेगी तथा अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण के पर्याप्त प्रवाहों में सहायता मिलेगी।

बाह्य क्षेत्र

11. जबकि वर्ष 2012-13 के पहले पांच महीनों में व्यापार घाटा कम हुआ है, सापेक्षिक रूप से जुलाई-अगस्त में निर्यात की भारी गिरावट खराब होती हुई वैश्विक संभावना से चालू खाते के प्रति जोखिमों के संकेत हैं। जहां तक बाहरी वित्तीय सहायता का संबंध है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह में कमी की पूर्ति अंशतः अनिवासी जमाराशियों में उछाल तथा हाल के महीनों में विदेशी संस्थागत निवेश प्रवाहों के नवीकरण के द्वारा हुई है। इसके परिणामस्वरूप पहली तिमाही समीक्षा के बाद से रुपया एक संकीर्ण सीमा के भीतर कारोबार कर रहा है। आगे देखते हुए घरेलू नीति गतिविधियों की प्रतिक्रिया में बढ़े हुए अंतर्वाहों के साथ व्यापार घाटे में नरमी से

भुगतान संतुलन पर दबाव कम हो सकते हैं। तथापि, पूंजी आवाजाही और तेल की कीमतें दोनों के अनुसार वैश्विक कारकों से जोखिमें बनी रहेंगी। इन बाहरी जोखिमों को देखते हुए धारणीय स्तरों तक सीएडी को धारण किए रखना स्थायी राजकोषीय समेकन और खासकर आर्थिक सहायता से पूंजी व्यय की ओर सार्वजनिक व्यय को ले जाने पर निर्भर करेगा जो निजी निवेश में ईकठ्ठा होता है जिससे वृद्धि को पुनर्ज्जीवित करने के लिए आधार तैयार होता है।

मार्गदर्शन

12. प्रथम तिमाही समीक्षा के बाद से वृद्धि जोखिमें जबकि बढ़ गई हैं, मुद्रास्फीति जोखिमें बनी हुई हैं। वृद्धि जोखिमों में कमी तथा अर्थव्यवस्था को एक उच्चतर धारणीय वृद्धि सीमा तक ले जाने के लिए कई क्षेत्रों के भीतर समायोजित नीति कार्रवाई अपेक्षित है जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पिछले सप्ताहों की कार्रवाई ने उल्लेखनीय योगदान किया है। मौद्रिक नीति की एक महत्वपूर्ण भूमिका वृद्धि के पुनर्ज्जीवन में सहायता करना भी है। तथापि, वर्तमान स्थिति में जुड़वें घाटों - चालू खाता घाटे और राजकोषीय घाटे से उत्पन्न जोखिमों के साथ-साथ जारी मुद्रास्फीतिकारी दबाव वृद्धि जोखिम के लिए मौद्रिक नीति की एक मजबूत कार्रवाई के लिए बाध्य करते हैं। तदनुसार, जैसे ही एक प्रक्रिया विकसित होती है, मौद्रिक नीति का रूझान उभरती हुई वृद्धि मुद्रास्फीति गतिशीलता, चलनिधि स्थितियों के प्रबंध की सतर्क और निरंतर निगरानी द्वारा व्यवस्थित होगी ताकि उत्पादक क्षेत्रों को ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके तथा बाह्य गतिविधियों से उत्पन्न आघातों के प्रति समुचित कार्रवाई की जा सके।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनकदी स्थितियों पर कार्रवाई पर प्रारूप संपूरक मार्गदर्शन जारी किया

17 सितंबर 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाईट पर अभिमत और प्रतिसूचना के लिए ''अनकदी स्थितियों पर कार्रवाई'' पर प्रारूप संपूरक मार्गदर्शन जारी किया।

प्रारूप संपूरक दिशानिर्देश पर अभिमत/प्रतिसूचना अधिक से अधिक 19 अक्तूबर 2012 तक प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 को डाक द्वारा अथवा ई-मेल के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद उप समिति की बैठक, मुंबई, 17 सितंबर 2012

17 सितंबर 2012

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) उप समिति की एक बैठक मुंबई में आयोजित की गई। डॉ. डी.सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में डॉ. अरविंद मायाराम, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग (डीईए); श्री डी.के.मित्तल, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस); श्री यू.के.सिन्हा, अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी); श्री जे.हरिनारायण, अध्यक्ष, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकार (आईआरडीए); भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी.चक्रवर्ती, डॉ. सुबीर गोकर्ण, श्री आनन्द सिन्हा और श्री एच. आर.खान तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री जी. गोपालकृष्ण और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

इस उप समिति ने वैश्विक अर्थव्यवस्था खासकर, यूरो क्षेत्र और अमरीका में हाल की गतिविधियों की समीक्षा की। मंद होती हुई वृद्धि पर चिंताएं, निरंतर मुद्रास्फीतिकारी दबाव तथा बाह्य क्षेत्र मोर्चे पर दबाव पर चर्चा की गई। घरेलू वित्तीय प्रणाली की बैंकिंग क्षेत्र में गतिविधियों सहित स्थिरता के प्रति जोखिम की संक्षिप्त रूप से समीक्षा की गई।

इस उप समिति में बढ़ते हुए स्वर्ण आयात तथा चालू खाता घाटे पर इसका प्रभाव, अर्थव्यवस्था में धारित स्वर्ण के उत्पादक उपयोग को बढ़ाने के लिए वित्तीय लिखतों को लागू करना, अमरीकी विदेशी लेखा कर अनुपालन अधिनियम के प्रभाव, अन्य वित्तीय उत्पादों की बिक्री के लिए कारोबारी संवाददाताओं के उपयोग और इसमें शामिल जोखिम, देश में आभासी बैंकिंग में विनियामक अंतरालों आदि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुरुषों के लिए ग्रामीण भारत में औसत दैनिक मज़दूरी दर पर समय श्रृंखला आंकड़े जारी किया

18 सितंबर 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज पुरुषों के लिए ग्रामीण भारत में औसत दैनिक मजदूरी दर पर समय श्रृंखला आंकड़े जारी किया। यह आंकड़ा श्रृंखला श्रम ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा संकलित मौलिक

आंकड़ों तथा इसके मासिक प्रकाशन में प्रकाशित 'भारतीय श्रम जर्नल' शीर्षक प्रकाशन से संकलित किए गए हैं।

व्यापकता

मज़दूरी दरों पर आंकड़े श्रम ब्यूरो द्वारा अपने मासिक प्रकाशन, भारतीय श्रम जर्नल ने नियमित रूप से मासिक आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं। मज़दूरी दर आंकड़े 11 कृषि और 7 गैर-कृषि पेशे के संबंध में संकलित किए जाते हैं जिसे 20 प्रमुख राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कृषि और ग्रामीण मज़दूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) हेतु खुदरा मूल्य के आंकड़ा संकलन के सामान्य ढांचे के अंतर्गत शारिरिक श्रम जुड़ा होता है। चयनित पेशे जिनके लिए प्रत्येक माह दैनिक मज़दूरी दरें संकलित की जाती हैं, वे हैं, (ए) **कृषि व्यवसाय** - (i) जुताई, (ii) बुआई, (ii) निकौनी, (iv) रोपनी, (v) फसल कटाई, (vi) फटकना, (vii) दँवरी, (viii) चुनाई, (ix) पशुपालन, (x) कुंए की खुदाई, और (xi) गन्ने की पेराई; (बी) **गैर-कृषि व्यवसाय** - (i) बढ़ई, (ii) लुहार, (iii) मोची, (iv) राज मिस्त्री, (v) ट्रैक्टर चालक, (vi) सफाई करनेवाला और अकुशल मजदूर (गैर-विशिष्ट)।

पद्धति

अखिल भारतीय स्तर पर औसत मजदूरी दरें सभी 20 राज्यों की कुल मजदूरी के योग को श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित कोटेशनों की संख्या से विभाजित करते हुए निकाली जाती हैं। राज्य-वार औसतों का आकलन केवल उन व्यवसायों के लिए किया जाता है जहाँ कोटेशनों की संख्या पाँच अथवा उससे अधिक होती है। तथापि, अखिल भारतीय औसतों को निकालने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कोटेशनों की कुल संख्या प्राप्त करने हेतु सभी राज्य स्तरीय कोटेशनों पर विचार किया जाता है। अखिल भारतीय स्तर पर भी व्यवसाय-वार औसत की गणना के लिए कोटेशनों की संख्या को पांच अथवा उससे अधिक तक सीमित किया गया है। विभिन्न व्यवसायों के प्रति अज्ञात मूल्य यह उल्लेख करते हैं कि विभिन्न कारणों जैसेकि (i) राज्य में चाहे व्यवसाय से जुड़ी गतिविधि शामिल नहीं की गई हो, अथवा (ii) राज्य में गतिविधि मौसम के बाद हुई हो अथवा (iii) उस परिचालन में कामगारों की खास श्रेणी शामिल नहीं की गई हो अथवा (iv) प्राप्त कोटेशनों की संख्या पांच से कम रही हो, के चलते संदर्भित माह के दौरान किसी मजदूरी दर की रिपोर्ट नहीं की गई थी।

पहुँच

मजदूरी दरों पर रिज़र्व बैंक के समय श्रृंखला आँकड़ों को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर भारतीय अर्थव्यवस्था लिंक (डीबीआइई) (http://dbie.rbi.org.in >> सांख्यिकी >> वास्तविक क्षेत्र >> मूल्य और मजदूरी >> मासिक) पर देखा जा सकता है तथा समय, राज्य और व्यवसायों के अनुसार वर्गीकृत करते हुए इसे डाउनलोड किया जा सकता है। मजदूरी दर के संकलन की विस्तृत पद्धति वर्ष 2010 में श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित 'ग्रामीण भारत 2008-09 में मजदूरी दर' के साथ;साथ श्रम ब्यूरो की वेबसाइटः http://labourbureau.gov.in पर भी उपलब्ध है।

दि राजस्थान अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर पर दण्ड लगाया गया

18 सितंबर 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि राजस्थान अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर, पर वैयक्तिक और समूह निवेश सीमा, आईएआरसी मानदण्डों और विण्डो ड्रेसिंग पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में मामले के तथ्यों और बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। तदनुसार, बैंक पर दण्ड लगाया गया।

दि राजलक्ष्मी महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर पर दण्ड लगाया गया

18 सितंबर 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का

प्रत्यायोजन करते हुए दि राजलक्ष्मी महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर, पर गैर-जमानती अग्रिमों, आइएआरसी मानदण्डों और ओबीसी प्रभारों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में मामले के तथ्यों और बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। तदनुसार, बैंक पर दण्ड लगाया गया।

दि दाहोद् मर्केंटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., जिला दाहोद पर दण्ड लगाया गया

20 सितंबर 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि दाहोद मर्केंटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., जिला दाहोद, पर दान पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में मामले के तथ्यों और बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

दि तालोद नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, तालोद, जिला साबरकांठा (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया

24 सितंबर 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि तालोद नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, तालोद, जिला साबरकांठा (गुजरात) पर 25 मार्च 2011 के परिचालनात्मक अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए प्रकटन / शेयरधारकों को लाभांश के वितरण से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में मामले के तथ्यों और बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : जीएसएस इन्फोटेक लिमिटेड (जीएसएस अमरीका इन्फोटेक लिमिटेड)

25 सितंबर 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि जीएसएस इन्फोटेक लिमिटेड (जीएसएस अमरीका इन्फोटेक लिमिटेड) में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) द्वारा प्राथमिक/द्वितीयक बाज़ारों में संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत ईक्विटी शेयरों की कुल निवल खरीद शुरुआती सीमा तक पहुँच गई है। अतः इस कंपनी के ईक्विटी शेयरों की आगे खरीद की अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद दी जाएगी।

अक्तूबर-दिसंबर 2012 तिमाही के लिए राज्य सरकारों द्वारा बाज़ार उधार की सांकेतिक मात्रा

28 सितंबर 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों के परामर्श से यह घोषणा की है कि अक्तूबर-दिसंबर 2012 तिमाही के लिए राज्य सरकार तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी द्वारा कुल बाज़ार उधार की सांकेतिक मात्रा ₹55,000 करोड़ से ₹60,000 करोड़ की श्रेणी में रहने की आशा है। यह राशि सामान्यतः एक मंगलवार को छोड़कर दूसरे मंगलवार को आयोजित राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) की नीलामी के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक समायोजित तरीके से नीलामी आयोजित करने का प्रयास करेगा और संपूर्ण तिमाही में समान रूप से उधारों को वितरित करेगा। उधार की वास्तविक राशि नीलामी दिवस

के दो/तीन दिन पहले प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित की जाएगी और यह राज्य सरकारों की आवश्यकता, भारत के संविधान की धारा 293(3) के अंतर्गत भारत सरकार के अनुमोदन तथा बाज़ार स्थितियों पर निर्भर करेगी।

दि भुज मर्केंटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद

28 सितंबर 2012

दि भुज मर्केंटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर जनहित में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 अप्रैल 2012 को कारोबार की समाप्ति पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए निर्देशन लागू किए थे। उक्त निर्देशनों को 18 मई 2012 को संशोधित किया गया था।

बैंक पर लगाए गए निर्देशनों की अवधि समीक्षा के अधीन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए 21 सितंबर 2012 के निर्देशन के अंतर्गत 2 अप्रैल 2013 तक और आगे छह महीनों की अवधि के लिए बढ़ाई गई है। जनता के इच्छुक सदस्यों के अवलोकन के लिए बैंक के परिसर में संशोधित निर्देशनों को प्रदर्शित किया गया है।